रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1465] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2011/श्रावण 7, 1933
No. 1465] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2011/SRAVANA 7, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2011

का.आ. 1756(अ).—जबकि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (जिसे इसमें इसके बाद आरटीई अधिनियम कहा गया) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (जिसे इसमें इसके बाद एनसीटीई कहा गया है) ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 25 अगस्त, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 215 के द्वारा कक्षा I से VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की थी ।

2. और जबकि, आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि जिस मामले में किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं हैं अथवा आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उसमें केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझती है तो, अधिसूचना के द्वारा ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताओं में छूट प्रदान कर सकती है ।

3. और जबकि, आरटीई अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकारों के लिए 8 नवम्बर, 2010 को दिशानिर्देश निर्धारित किए थे ।

4. और जबकि, मणिपुर राज्य सरकार ने दिनांक 16 जून, 2011 के अपने पत्र द्वारा एनसीटीई द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 25 अगस्त, 2010 को प्रकाशित इसकी अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हता मानदंडों में छूट प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

5. और जबकि, केन्द्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत छूट प्रदान करने के लिए मणिपुर सरकार के प्रस्ताव की जांच की है और उस पर विचार किया है ।

6. अतः, अब, आरटीई अधिनियम की धारा 23 की, उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 25 अगस्त, 2010 को प्रकाशित, एनसीटीई द्वारा अधिसूचित अध्यापक की न्यूनतम अर्हता के मानदंडों में, जहां तक इनका संबंध कक्षा I से VIII तक है, एतद्द्वारा मणिपुर राज्य सरकार को नीचे दिए अनुसार छूट प्रदान करती है :—

(क) कक्षा I से VIII के लिए शिक्षक की नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाए); और

(ख) कक्षा VI से VIII के लिए शिक्षक की नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी.एड.) ।

टिप्पणी 1 : उपर्युक्त छूट 31 मार्च, 2013 तक वैध होगी और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :—

(i) जैसा कि एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट

Government of Manipur in respect of the minimum teacher qualification norms noitified by the NCTE, published on the 25th August, 2010, in so far as they relate to classes I-VIII, as under :—

(a) 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I-VIII; and

(b) 1-year Bachelor in Education (B. Ed.) for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

Note 1: The aforementioned relaxation shall be valid upto the 31st March, 2013 and shall be subject to the following conditions, namely :—

(i) as specified in the aforementioned notification of the NCTE, the State Government of Manipur shall conduct the Teacher Eligibility Test, (hereinafter referred to as TET) in accordance with the Guidelines dated the 11th February, 2011 issued by the NCTE and only those persons who pass the TET can be considered for appointment as a teacher in elementary classes;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to correspond with the minimum qualification norms laid down by the aforementioned notification of the NCTE;

(iii) in the matter of appointment, the State Government shall give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the NCTE notification dated the 25th August, 2010, and only thereafter consider the eligible candidates with the relaxed qualifications specified in this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers should be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers not possessing the minimum academic and professional qualifications laid down in the aforementioned notification of the NCTE shall acquire the same within the time limit specified under sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act, 2009;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the NCTE notification within a period of two years from the year of appointment;

(vii) the relaxation specified in this notification shall be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of Section 23 shall be granted to the State Government;

(viii) the State Government shall ensure that the annual intake capacity for the two-year Diploma in Elementary Education course in the District Institutes of Education and Training in Manipur is utilised only for preparing prospective elementary school teachers and not for imparting face-to-face Diploma in Elementary Education course to existing untrained teachers.

Note 2 : In accordance with sub-para (iii) of para 5 of the TET Guidelines issued by the NCTE *vide* its letter dated the 11th February, 2011, the following persons shall also be eligible for appearing in the TET conducted by the State Government of Manipur in respect of teacher appointments made in the State upto the 31st March, 2013 :—

(a) For classes I to V—Senior Secondary (or equivalent) with at least 50 per cent marks;

(b) For classes VI to VIII—Graduation with at least 50 per cent marks.

[F. No. 1-17/2010-EE-4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

किया गया है, मणिपुर राज्य सरकार एनसीटीई द्वारा 11 फरवरी, 2011 को दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (जिसे इसमें इसके बाद टीईटी कहा गया है) आयोजित करेगी और प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जाएगा जो टीईटी उत्तीर्ण करेंगे;

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंध एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के अनुरूप भर्ती नियमों में संशोधन करेंगे;

(iii) नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो दिनांक 25 अगस्त, 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं और उसके बाद ही इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त अर्हताओं के साथ पात्र अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा;

(iv) शिक्षकों की नियुक्ति के विज्ञापन का राज्य से बाहर प्रचार के साथ-साथ व्यापक प्रचार किया जाएगा;

(v) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंध यह सुनिश्चित करेंगे कि एनसीटीई की उक्त अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएं न रखने वाले शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत विनिर्दिष्ट समय सीमा में उन योग्यताओं को प्राप्त करेंगे;

(vi) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंध यह सुनिश्चित करेंगे कि छूट प्राप्त मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक नियुक्ति के वर्ष से दो वर्ष की अवधि के भीतर एनसीटीई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेंगे;

(vii) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार के लिए है और धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार को आगे कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी;

(viii) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मणिपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में दो वर्षीय डिप्लोमा के लिए वार्षिक दाखिला क्षमता का उपयोग केवल भावी प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों को तैयार करने के लिए किया जाएगा, न कि मौजूदा अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में फेस-टू-फेस डिप्लोमा प्रदान करने के लिए ।

टिप्पणी 2 : दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र के जरिए एनसीटीई द्वारा जारी टीईटी दिशानिर्देशों के पैरा 5 के उप-पैरा (iii) के अनुसार 31 मार्च, 2013 तक राज्य में की जाने वाली शिक्षक नियुक्तियों के मामले में मणिपुर राज्य सरकार द्वारा आयोजित टीईटी में शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति भी पात्र होंगे :—

(क) कक्षा I से V के लिए — कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (अथवा समकक्ष),

(ख) कक्षा VI से VIII के लिए — कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक ।

[फा. सं. 1-17/2010-ईई-4]

अनिता कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2011

S. O. 1756(E).—Whereas the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as NCTE), in pursuance of sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (hereinafter referred to as the RTE Act), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII *vide* notification No. 215 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on the 25th August, 2010;

2. And whereas, sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of Section 23 of the RTE Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

3. And whereas, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 35 of the RTE Act, the Central Government laid down the Guidelines on the 8th November, 2010 for the State Governments for submitting proposal to the Central Government for grant of relaxation under sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act;

4. And whereas, the State Government of Manipur *vide* its letter dated the 16th June, 2011 submitted a proposal to the Central Government for grant of relaxation of the minimum qualification norms laid down by the NCTE in its notification published in the Gazette of India on the 25th August, 2010;

5. And whereas, the Central Government examined and considered the proposal of the Government of Manipur for grant of relaxation under sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act;

6. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act, the Central Government hereby grants relaxation to the State